संख्या–सम्ब. 709/सत्तर–6–2014–2(823)/2014

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 107-A /रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 29-5-14

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2014

विषयः महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/2104/2014, दिनांक 29–04–2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन देव महाविद्यालय, न्यायीपुर, सोरांव, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी0ए0 पाठ्यक्रम के हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, प्राचीन भारतीय इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं संस्कृत विषयों तथा विज्ञान संकाय के बी0एससी0 पाठ्यक्रम के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01–07–2014 से तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी में इंगित समस्त कमियों यथा प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं हैं, याचित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र, कार्यभार प्रमाणक एवं अनुबन्ध पत्र तथा वेतन भुगतान का प्रमाण संलग्न नहीं है, से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20–12–2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब. 709(1)/सत्तर–6–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।
3 अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4 प्रबन्धक, देव महाविद्यालय, न्यायीपुर, सोरांव, इलाहाबाद।
5 विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।